



# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर-19 (नार्थ ब्लॉक)

अटल नगर – रायपुर, पिन-492015 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष-0771-2511287, फैक्स-0771-2511288, ई-मेल: office.mdnrhm@gmail.com



क्र./एनएचएम/एचआर/NS-468/383

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11/05/2023

## :: आदेश ::

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी – एनएचएम (संविदा) के पद पर बिलासपुर संभाग में निम्नांकित अभ्यर्थियों की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित स्थल में नीचे अंकित शर्तों के अधीन की जाती है –

संक्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	वर्ग	चयनित प्रवर्ग	कार्यक्रम	पदस्थापना स्थल	डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज/ एकमुश्त वेतनमान
1	डॉ. विवेक कौशिक	श्री आर.डी. कौशिक	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग	एन.एच.एम. (एन.सी.डी.)	सामु० स्वा० केन्द्र– रत्नपुर, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)	58100/-
2	डॉ. आशीष टण्डन	श्री आर.पी. टण्डन	अ.जा.	अ.जा.	एन.एच.एम. (एन.सी.डी.)	सामु० स्वा० केन्द्र– कोटा, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)	58100/-
3	डॉ. कमलेश कुमार बिस्वास	श्री चित्तरंजन बिस्वास	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम. (एन.सी.डी.)	सामु० स्वा० केन्द्र– मरवाही, जिला – गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)	63350/-
4	डॉ. अवधेश कुमार	श्री सकलदेव साहू	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग	एन.एच.एम. (एन.सी.डी.)	सामु० स्वा० केन्द्र– तखतपुर, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)	58100/-
5	डॉ. अशोक कुमार सान्याल	स्व. श्री लोरिक राम बर्मन	सामान्य	अनारक्षित	एन.यु.एच.एम.	शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र– राजकिशोर नगर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	58100/-
6	डॉ. प्रियंका अग्रवाल	श्री प्रमोद अग्रवाल	सामान्य	अनारक्षित	एन.यु.एच.एम.	शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र– राजकिशोर नगर, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)	58100/-
7	डॉ. आशा कुर्र	श्री भरत लाल कुर्र	अ.जा.	अ.जा.	एन.यु.एच.एम.	शहरी प्राथ. स्वा० केन्द्र– गांधी चौक जिला – बिलासपुर (छ.ग.)	58100/-
8	डॉ. अभिषेक सिंह चंदेल	श्री अरविंद सिंह चंदेल	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	जिला अस्पताल, जिला – जांजगीर (छ.ग.)	58100/-
9	डॉ. आशुतोष	श्री त्रिलोकीनाथ	अ.जा.	अ.जा.	एन.एच.एम.	सामु० स्वा० केन्द्र–पामगढ़, जिला – जांजगीर चांपा (छ.ग.)	58100/-
10	डॉ. दिलेश्वर प्रसाद	श्री अमृत लाल	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग	एन.एच.एम.	सामु० स्वा० केन्द्र– बलौदा, जिला – जांजगीर चांपा (छ.ग.)	63350/-
11	डॉ. सुचित्रा चंदन	श्री के.पी. चंदन	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु० स्वा० केन्द्र– मालखरौदा, जिला – जांजगीर चांपा (छ.ग.)	63350/-

क्रमांक..02

सं. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	वर्ग	चयनित प्रवर्ग	कार्यक्रम	पदस्थापना स्थल	डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज/ एकमुश्त वेतनमान
12	डॉ. हर्षा राठिया	श्री दुबराज राठिया	अ.ज. जाति	अ.ज. जाति	एन.एच.एम. (एन.सी.डी.)	सामु0 स्वा0 केन्द्र— करतला, जिला — कोरबा (छ.ग.)	70350/-
13	डॉ. कान्हा कृष्णा अग्रवाल	श्री गौरी शंकर अग्रवाल	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम. (एस.एन.सी.यू.)	जिला अस्पताल (एस.एन.सी.यू.), जिला— कोरबा (छ.ग.)	63350/-
14	डॉ. चित्रसेन कांत	श्री राजकुमार कांत	अ.जा.	अ.जा.	एन.एच.एम. (एन.सी.डी.)	सामु0 स्वा0 केन्द्र— पोड़ी उपरोड़ा, जिला — कोरबा (छ.ग.)	70350/-
15	डॉ. तरन्नुम बेगम	श्री सै याकूब	सामान्य	अनारक्षित	एन.यु.एच.एम.	शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र— गोपालपुर, जिला— कोरबा (छ.ग.)	63350/-
16	डॉ. भुपेन्द्र सिंह ठाकुर	श्री चिंजीव सिंह	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग	एन.एच.एम. (एन.सी.डी.)	सामु0 स्वा0 केन्द्र— लोरमी, जिला — मुंगेली (छ.ग.)	63350/-
17	डॉ. आयुष वैष्णव	श्री राम कुण्ड वैष्णव	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग	एन.यु.एच.एम.	शहरी सामु. स्वा. केन्द्र— मुंगेली, जिला— मुंगेली (छ.ग.)	58100/-
18	डॉ. दीपनारायण राजपूत	श्री गिरवर सिंह	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम. (एस.एन.सी.यू.)	जिला अस्पताल (एस.एन.सी.यू.), जिला— मुंगेली (छ.ग.)	58100/-
19	डॉ. मणीलाल भास्कर	श्री झामनलाल भास्कर	अ.जा.	अ.जा.	एन.एच.एम.	जिला—अस्पताल, जिला—मुंगेली (छ.ग.)	58100/-
20	डॉ. गोपाल लाल	श्री बोदूराम बिजारनियॉ	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम.	सामु0 स्वा0 केन्द्र— लैलुंगा, जिला — रायगढ़ (छ.ग.)	63350/-
21	डॉ. नारायण राठौर	श्री अरथराम राठौर	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग	एन.एच.एम.	सामु0 स्वा0 केन्द्र— बरमकेला, जिला — रायगढ़ (छ.ग.)	63350/-
22	डॉ. कविता जायसवाल	डॉ. हितेश जायसवाल	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग	एन.एच.एम.	सामु0 स्वा0 केन्द्र— लोईग, जिला — रायगढ़ (छ.ग.)	58100/-
23	डॉ. सुरेश कुमार पटेल	श्री लक्ष्मण लाल	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग	एन.एच.एम.	सामु0 स्वा0 केन्द्र— सारंगढ़, जिला —सारंगढ़—बिलाईगढ़ (छ.ग.)	58100/-
24	डॉ. खोबराम पटेल	श्री लोकनाथ पटेल	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग	एन.एच.एम.	सामु0 स्वा0 केन्द्र—पुस्तौर, जिला — रायगढ़ (छ.ग.)	58100/-

संक्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	वर्ग	चयनित प्रवर्ग	कार्यक्रम	पदस्थापना स्थल	डिफरेन्सि यल सैलरी पैकेज/ एकमुश्त वेतनमान
25	डॉ. सौरव अग्रवाल	श्री नंद किशोर अग्रवाल	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम. (एन.टी.ई.पी.)	जिला—अस्पताल (एन.टी.ई.पी.) जिला—रायगढ़ (छ.ग.)	58100/-
26	डॉ. शुभम शर्मा	श्री विक्रम शर्मा	सामान्य	अनारक्षित	एन.एच.एम. (एस.एन.सी.यू.)	जिला अस्पताल (एस.एन.सी.यू.), जिला— रायगढ़ (छ.ग.)	58100/-
27	डॉ. विरेन्द्र राठिया	श्री सुरेश सिंह राठिया	अ.ज. जाति	अ.ज. जाति	एन.यु.एच.एम.	शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र— संजय मैदान (रामभाटा), जिला— रायगढ़ (छ.ग.)	58100/-

### :: नियुक्ति शर्त ::

- 
1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों की भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ४०ग० के मानव संसाधन नीति 2018 के अंतर्गत होगी।
  2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका—15 की (अन्य शर्तें) लागू होगी।
  3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज अनुसार संविदा पद हेतु एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी। डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज में सभी प्रकार के अतिरिक्त प्रोत्साहन सम्मिलित है, अतः सी.आर.एम.सी. क्षेत्र में पृथक से सी.आर.एम.सी. की राशि देय नहीं होगी।
  4. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
  5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डिफरेन्सियल सैलरी पैकेज के तहत कार्य करने वाले चिकित्सकों को निजी प्रेविट्स की पात्रता नहीं होगी।
  6. संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के लिये स्वीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता देय होगा। सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसा कि सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व थी।
  7. संविदा नियुक्ति **31 मार्च 2024** तक अथवा इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत समय—समय जारी पर आदेश/निर्देश यथा लागू होगी, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी। वार्षिक कार्यमूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।
  8. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के अनुपातिक आधार पर की जावेगी। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णाकिंत किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जावेगा। संविदा नियुक्ति एक बार में 1 वर्ष के लिये ही की जा सकती है, अतः प्रसूति अवकाश की सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार 180 दिन की होगी।
  9. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

10. नियुक्ति के पूर्व या नियुक्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक, वित्तीय अनियमितता संबंधी कृत्य में लिप्त होने की अवस्था में सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
11. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
12. चयनित अभ्यार्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय/कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
  - 12.1 प्रसूति उपरांत, प्रशासकीय नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकेगी।
  - 12.2 प्रथम नियुक्ति के प्रथम छ: महीने पश्चात् ही प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
  - 12.3 अनुबंध के समय अभ्यार्थियों को स्वप्रमाणित निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे। इसके पश्चात् ही नियुक्ति को मान्य किया जायेगा—
    - हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची
    - संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
    - संबंधित पद हेतु निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
    - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपधि/प्रमाण—पत्र
    - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण—पत्र, निवासी प्रमाण—पत्र
    - कार्य अनुभव प्रमाण—पत्र
    - विशेष छूट हेतु प्रमाण—पत्र
13. संबंधित चिकित्सक को छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अन्यथा उन्हें 45 दिवस के अंदर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होकर प्रमाण—पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
14. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अयन्त्र स्थानों से आने—जाने की अनुमति नहीं होगी तथा ऐसा पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
15. संविदा नियुक्ति चिकित्सक को अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के नियंत्रण में कार्य करना होगा। इन चिकित्सकों को नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त दायित्वों का पालन करना होगा।
16. संविदा नियुक्ति सामान्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना की स्वीकृति के अनुसार एक वर्ष के लिये होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर कार्य का मूल्यांकन (Performance Appraisal) कर निर्धारित मापदण्डों के उपर होने पर संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन कर, संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाते हुये मिशन की अवधि में नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी।
17. Performance Appraisal Report में निर्धारित मापदण्ड अनुसार अंक प्राप्त नहीं होने पर अंकों के आधार पर नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही की जावेगी। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा सेवा स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी। इसके लिए कर्मचारी को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
18. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष राज्य/जिला नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा। इसका प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
19. संविदा नियुक्त चिकित्सकों को संविदा शर्तों के तहत संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ पदभार ग्रहण के समय एवं प्रतिवर्ष (वित्तीय वर्षानुसार) 50/- रु० के गैर न्यायिक बंध पत्र (स्टाम्प पेपर) पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। संविदा नियुक्त आदेश जारी होने पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर कार्यदेश मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।

20. आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. समय—समय पर विभाग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी जाने वाली सुविधायें लागू होंगे।
22. आपको नियुक्ति आदेश प्राप्ति उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला संबंधित में सूचना देवें, तत्पश्चात् अपने नियुक्ति स्थल –संबंधित स्थल में दिनांक 25/05/2023 के कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपकी संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
23. नियुक्ति/शर्तों में शिथिलीकरण का अधिकार शासी निकाय, राज्य स्वास्थ्य समिति/मिशन संचालक को होगा।
24. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
25. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी को HRMIS पोर्टल में **सात दिवस** के अंदर अपनी जानकारी प्रविष्टी एवं अद्यतन कराया जाना होगा। इसके पश्चात् ही मासिक मानदेय HRMIS पोर्टल के माध्यम से आहरण किया जावेगा।
26. उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।

*11/05/2023*  
 मिशन संचालक  
 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
 छत्तीसगढ़

पृ.क्र./एनएचएम/एच.आर./NS- 468/ 383

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11/05/2023

**प्रतिलिपि :-**

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर, ४००५० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर, ४००५० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, नवा रायपुर, ४००५० की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, नवा रायपुर, ४००५० को सूचनार्थ।
5. कलेक्टर सह जिला अध्यक्ष, जिला— संबंधित को सूचनार्थ।
6. संचालक, महामारी नियंत्रण, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, नवा रायपुर, ४००५० को सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर, ४००५० को सूचनार्थ।
8. संयुक्त संचालक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर, ४००५० को सूचनार्थ।
9. संबंधित राज्य नोडल अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, संबंधित को सूचनार्थ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला—संबंधित, (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
11. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, नवा रायपुर, ४००५० को सूचनार्थ।
12. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला— संबंधित, (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
13. जिला प्रबंधक — प्रशिक्षण/एच.आर., जिला—संबंधित, (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं संबंधितों के पदभार ग्रहण की अंतिम तिथि के उपरांत दो दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी की जानकारी राज्य कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
14. संबंधितों को पालनार्थ। निर्धारित समयावधि पर उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
15. कार्यालयीन प्रति।

*11/05/2023*  
 मिशन संचालक  
 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
 छत्तीसगढ़